

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3178
जिसका उत्तर दिनांक 29 अगस्त, 2013 को दिया जाना है

दोषपूर्ण उत्सर्जन मुद्दा

3178. श्री हेमानंद बिसवाल:

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को बड़ी संख्या में जनरल मोटर्स इंडिया द्वारा उत्पादित टवेरा से जुड़े दोषपूर्ण उत्सर्जन मुद्दे की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी है कि क्या अन्य आटोमोटिव कंपनियों में इस प्रकार के उल्लंघन का पता नहीं चल पाया है और उसकी सूचना नहीं दी गयी;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार के गुणवत्ता उल्लंघनों को रोकने के लिए कोई उपाय किए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क)और(ख): जी, हां। जनरल मोटर्स लि. द्वारा उत्पादित टवेरा मॉडल के वाहनों के संबंध में सूचित कंपनी द्वारा उत्पादन की अनुरूपता (सी ओ पी) का उल्लंघन, यदि कोई हुआ है, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए सी ई ओ एवं पी डी, नेट्रिप की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत हैं:

- (i) किस हद तक उल्लंघन हुआ और उसकी जिम्मेदारी/अभियोज्यता का निर्धारण करना।
- (ii) उपभोक्ताओं (वाहन स्वामियों) के संरक्षण के लिए सुधार के लिए आगे का रास्ता निर्धारित करना।
- (iii) भविष्य में सी ओ पी उल्लंघन को रोकने का तरीका निर्धारित करना।

(ग)से(ङ): समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
